

# हिन्दी-सारांश

## भैरुचौबट्टा सोपरस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट

ग्राम:-भैरुचौबट्टा, तहसील-बागेश्वर,

जनपद:-बागेश्वर, उत्तराखण्ड

परियोजना क्षेत्रफल:-3.834 हेक्टेयर,

परियोजना प्रस्तावित क्षमता:-23,250 टीपीए अधिकतम



### परियोजना प्रस्तावक

मै0 जय श्री गंगानाथ मिनरल्स

ग्राम- भैरुचौबट्टा, तहसील-बागेश्वर,

जनपद:-बागेश्वर, उत्तराखण्ड

### परियोजना सलाहकार

ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड,

प्रमाणपत्र संख्या NABET/EIA/2223/SA0183, 17 दिसंबर, 2023 तक वैध

ई 207, फेज़ VII बी, सेक्टर 74, औद्योगिक क्षेत्र, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब 160071

आरक्यूपी और सूचीबद्ध सलाहकार

भुवन जोशी (ईआईए समन्वयक-नेबेट क्यूसीआई)

सूचीबद्ध भूविज्ञानी, आरक्यूपी-आईबीएम, यूके, एचपी, देहरादून

संपर्क करें: 9412152105, 7533858409

# भैरुचौबटटा, सोपस्टोन मार्झिनिंग प्रोजेक्ट—एक परिचय

## **1.0 परिचयः—**

**1.1 रिपोर्ट का उद्देश्य :**— भैरुचौबटटा सोपस्टोन मार्झिनिंग प्रोजेक्ट ई0आई0ए0 अधिसूचना के संख्या 2006, 2009, 2011, 2012 तथा 2016 के अनुसार मुख्यतः बी 1 श्रेणी के प्रोजेक्ट है, माननीय हरित प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में प्रोजेक्ट बी 1 श्रेणी में एस0ई0आई0ए0 उत्तराखण्ड (सिया उत्तराखण्ड) द्वारा टी0ओ0आर0 (ToR) दिनांक 18 जुलाई 2023 को जारी किया गया है।

**1.2 परियोजना की पहचानः—** उत्तराखण्ड राज्य के ग्राम— भैरुचौबटटा जनपद—बागेश्वर की तहसील— बागेश्वर के अन्तर्गत आता है, उपरोक्त ग्राम में अवस्थित, 3.834 है0 भूमि में मै0 जय श्री गंगानाथ मिनरल्स जनपद—बागेश्वर की तहसील— बागेश्वर के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्र संख्या **2092/VII-A-1/2021/1(3)/22, Dated 07-01-2022**, द्वारा सोपस्टोन हेतु 50 वर्ष का आशय पत्र स्वीकृत किया गया है।

## **ई0आई0ए0 प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं**

क्र0 सं0	तकनीकी मूल्यांकन/परीक्षण के बिन्दु	विवरण
1.	आवेदक/पट्टाधारक का नाम व पता	मै0 जय श्री गंगानाथ मिनरल्स जनपद—बागेश्वर की तहसील— बागेश्वर उत्तराखण्ड
2.	आवेदित/स्वीकृत स्थल का विवरण	ग्राम भैरुचौबटटा, तहसील— बागेश्वर, जिला— बागेश्वर, राज्य—उत्तराखण्ड
3.	आशयपत्र/शासनादेश की तिथि	आशय पत्र संख्या:- <b>2092/VII-A-1/2021/1(3)/22, Dated 07-01-2022,</b>
4.	सीमांकन आख्या का दिनांक एवं खनन योग्य सीमांकित क्षेत्रफल	जिला अधिकारी के पत्रसंख्या: 311/जिठाफो0/गौणखनिज/2022—23, के अनुसार सीमांकित खनन क्षेत्रफल 3.834 है0
5.	प्रस्तुत खनन योजना जिला खान अधिकारी से सत्यापित की गयी है कि नहीं	खनन योजना जिला खान अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी बागेश्वर द्वारा सत्यापित की गयी है
6.	खनन योजना के सम्बन्ध में किये गये पत्राचार आदि का विवरण (यदि किये गये हों तो)	प्रथम खनन योजना प्रस्ताव
7.	आर0क्यू0पी0 जिसके द्वारा खनन योजना तैयार की गयी है का नाम एवं पंजीकरण का विवरण	आर0क्यू0पी0 का नाम — भुवन जोशी एंव पंजीकरण संख्या: मु0ख0/RQP/DDN/01/2016 वैधता 28—12—2020 से 27—12—2025

8.	अवधि जिस हेतु खनन योजना प्रस्तावित की गयी है।	प्रथम पाँच वर्षों हेतु
9.	भूविज्ञान और खनिज रिजर्व (Geology and Reserve)	
	1. (Physiography) प्राकृतिक भूगोल	प्राकृतिक भूगोल का विवरण अध्याय संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 10 में दिया गया है।
	2. भूविज्ञान (Geology) सतही भूविज्ञान मानचित्र 1:2000 / 1:1000 के पैमाने पर सतही भूविज्ञान मानचित्र सम्मोच्च अंतराल के साथ निम्न विवरण का परीक्षण कर टिप्पणी:-	भूविज्ञान का विवरण अध्याय संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 09 से पृष्ठ संख्या 10 तक दिया गया है।
	3. पूर्व में किये गये खनिज अन्वेषण का विवरण:	इसका विवरण अध्याय संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 11 से पृष्ठ संख्या 13 तक में दिया गया है।
	4. Details of Reserve and Calculations का निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत परीक्षण कर बिन्दुवार टिप्पणी	इसका विवरण अध्याय संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 12 में दिया गया है।
	5. खनिज की उपलब्धता : ग्रेड ..... ..... ग्रेड का आधार ..... प्राप्त आकड़ों का परीक्षण कर टिप्पणी	इसका विवरण अध्याय संख्या 5 में दिया गया है।
	6. क्षेत्र का खसरा मानचित्र पर निम्नानुसार चिह्नित सूचना का परीक्षण i. प्रस्तावित खनन क्षेत्र के समस्त Surface features. ii. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की 500 मी की परिधि के समस्त खनन क्षेत्रों एवं अन्य समस्त Surface features.	इसका विवरण अध्याय संख्या 5 में दिया गया है। प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कलस्टर सर्टिफिकेट की प्रत्यासा है,
	7. विगत अवधि के उल्लंघनों पर की गयी कार्यवाही का परीक्षण टिप्पणी	प्रथम खनन योजना प्रस्ताव
10.	खनन विधा के नामित खनन अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत ड्राप्ट खनन योजना, ड्राप्ट स्कीम आफ मार्झिनिंग, ड्राप्ट संशोधित स्कीम आफ मार्झिनिंग ड्राप्ट प्रगतिशील खान बन्द करने की योजना, ड्राप्ट अंतिम खान बन्द करने की योजना, की निम्न बिन्दुओं पर टिप्पणी	प्रथम खनन योजना प्रस्ताव
	1. खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्रों यथा आवासीय मकान, सड़क, पहुच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन धार्मिक स्थल आदि के कारण खनन न किये जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुये Blocked Mineral Resource Reserve का विस्तृत विवरण	खनन क्षेत्र में प्रतिबन्धित क्षेत्रों यथा आवासीय मकान, सड़क, पहुच मार्ग, खच्चर मार्ग, विद्युत लाईन धार्मिक स्थल आदि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं है।
	2. खनन योजना/स्कीम आफ मार्झिनिंग में पूर्व में किये गये खनन क्षेत्रों का विवरण यथा स्थान खनन स्थान (भरान किये गये स्थान डम्पिंग जौन आदि) के स्पष्ट उल्लेख के साथ ही प्रयुक्त किये जाने वाले Excavtor आदि मशीन की क्षमता working plan का स्पष्ट विवरण	प्रथम खनन योजना प्रस्ताव

3. खनन की बैन्च की ऊचाई, चौड़ाई, खसरा विवरण, मालिक के नाम के साथ खसरा मानचित्र पर प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्ष का विवरण पृथक—पृथक रंगों से मानचित्र पर दर्शाते हुए

खनन की बैन्च की ऊचाई 3 m व चौड़ाई 5 m है, व पट्टाधारक का नाम भगवती माईन ताछनी श्री गणेश सिंह पुत्र श्री आन सिंह निवासी—ग्राम व पो0—ताछनी, जनपद—बागेश्वर की तहसील— बागेश्वर उत्तराखण्ड एवं खसरा मानचित्र पर अनुवर्ती वर्ष का विवरण पृथक—पृथक रंगों से प्लेट संख्या 5 से प्लेट संख्या 11 तक मानचित्र पर दर्शाया है।

4. विगत पाँच वर्षों का उत्पादन एवं लक्ष्य का परीक्षण

प्रथम पाँच वर्षों का उत्पादन एवं लक्ष्य का परीक्षण

वर्ष	कुल उत्पादन सोपस्टोन (टन)
प्रथम वर्ष	11,076
द्वितीय वर्ष	13,051
तृतीय वर्ष	15,693
चतुर्थ वर्ष	19,918
पंचम वर्ष	23,250
कुल	<b>82,988</b>

इसका विवरण अध्याय संख्या 6 के पृष्ठ संख्या 19 से पृष्ठ संख्या 25 तक दिया गया है।

5. खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले प्रबंधकीय, पर्यावरण एवं श्रमिकों को खनिज एवं over burden हेतु पृथक—पृथक विवरण

रोजगार विवरण

क्र0स0.	वर्ग	विवरण
1.	भूवैज्ञानिक पूर्व कालिक	1
2.	अल्पकालिक मेडिकल आफिसर	-
3.	अंशकालिक पर्यावरण सलाहकार	-
4.	खनन अभियन्ता	1
5.	पर्यवेक्षक कार्यकर्ता	3
6.	अकुशल	42
	कुल	<b>47</b>

इसका विवरण अध्याय संख्या 30 के पृष्ठ संख्या 32 मे तक दिया गया है।

6. Mine Drainge का परीक्षण

क्षेत्र के भीतर कोई मौसमी या बारहमासी जल निकासी मौजूद नही है।

7. खनिज का उपयोग का परीक्षण

क्षेत्र के सोपस्टोन का उपयोग सिरेमिक पेपर और डिटर्जेंट उद्योगों के लिए किया जाएगा।

	8. खनिज प्रसंस्करण का परीक्षण	गड्डे के शीर्ष पर केवल ड्रेसिंग ब्रैकिंग और शॉर्टिंग की जाएगी और क्षेत्र के भीतर खनिज प्रसंस्करण का कोई अन्य साधन नहीं किया जाएगा।
	9 टेलिंग्स डैम का परीक्षण	लागू नहीं
	8. खनिज सत्यापन के सम्बन्ध में जांच के लिये दिशा निर्देश का परीक्षण	लागू नहीं
11.	झाप्ट प्रगतिशील खान बन्द करने की योजना ( <b>PMCP</b> ) / झाप्ट अन्तिम खान बन्द करने की योजना ( <b>FMCP</b> ) के परीक्षण बिन्दु	<p>इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के अध्याय संख्या 8 मे दिया गया है।</p> <p>(ख) वैधानिक दायित्व</p> <p>उत्तराखण्ड गौण खनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार</p> <p>(ग) बंद करने की योजना तैयार करना</p> <p>आवेदक / पट्टाधारक का नाम व पता :-</p> <p>मै ० जय श्री गंगानाथ मिनरल्स जनपद-बागेश्वर की तहसील- बागेश्वर उत्तराखण्ड</p> <p>आर. क्यू. पी. का नाम व पता तथा पंजीकरण संख्या भुवन जोशी,</p> <p>आर. क्यू. पी और भूवैज्ञानिक सलाहकार</p> <p>२०- शास्त्रीनगर, लैन नंबर:-३</p> <p>हरिद्वार रोड, देहरादून-२४८००१</p> <p>पंजीकरण संख्या :- मु०ख०/RQP/DDN/01/2016</p> <p>वैधयता :- 27.12.2025</p>
	2. खान का विवरण i. भूवैज्ञान ii. भण्डार iii. खनन विधि iv. खनिज लाभ	इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।
	3. खान और जनशक्ति रिट्रैंचमेण्ट को बंद करने के आर्थिक नतीजे	यह प्रगतिशील बंद करने की योजना है और इसलिए जनशक्ति की छँटनी प्रस्तावित नहीं है और खदान बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।
	4. परित्याग लागत	इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के अध्याय संख्या 8 मे दिया गया है।
	5. वित्तीय अश्वासन	इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के अध्याय संख्या 8 मे दिया गया है।

	<p>6. क्षेत्र का खसरा मानचित्र पर निम्नानुसार चिह्नित सूचना का परीक्षण</p> <p>i. प्रस्तावित खनन क्षेत्र के समस्त Surface features</p> <p>ii. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की 500 मी० की परिधि के समस्त खनन क्षेत्रों एवं अन्य समस्त Surface features</p>	<p>इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के खसरा मनचित्र में दिया गया है।</p> <p>इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के खसरा मनचित्र में दिया गया है।</p>
12.	वृक्षारोपण / चैक डैम एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजनाके परीक्षण विन्दु	
	1. उपरी मिटटी का भण्डारण एवं संरक्षण	इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।
	2. धूल दमन के लिये उपाय	धूल को दबाने के लिए महीनों की शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा
	3. खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि के सुधार के लिए प्रस्ताव	धूल को दबाने के लिए महीनों की शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा
	4. धूल दमन (निवारण) हेतु उपाय	धूल को दबाने के लिए महीनों की शुष्क अवधि के दौरान हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा
	5. ब्लास्टिंग से उत्पन्न तंरगों एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु उपाय	सोपस्टोन खनन में कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग नहीं की जाती है।
	6. टेलिंग डैम	कोई टेलिंग डैम प्रस्तावित नहीं है सोपस्टोन माइन में कोई टेलिंग डैम प्रस्तावित नहीं है।
	7. रोजगार संभावित रोजगार क्षमता	इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के अध्याय संख्या 6 मे दिया गया है।
	8. मौसम के सम्बन्ध में 1. वनस्पति पशुवर्ग 2. जल प्रदेश 3. मानव बस्ती	इसका विवरण स्वीकृत खनन योजना के अध्याय संख्या 7 मे दिया गया है।
	9. चैक डैम के सम्बन्ध में	No drainage exist within lease area therefore no proposal has been given for erection of check dam.
13.	टिप्पणी	कोई टिप्पणी नहीं है।

➤ अनुमोदित खनन योजना के पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर NGT के निदेशों के क्रम में प्रोजेक्ट को बी 1 श्रेणी में मानते हुए राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधीरण द्वारा ₹०आई०५० नोटिफिकेशन के अनुसार टोर जारी किया गया है।

- उपरोक्त प्रस्तावित खदान का माइनिंग प्लान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2335/मु० ख०/खनन/०७ /सोपस्टोन/बागेश्वर/भू०खनि०ई०/2020-21, दिनांक 22.07.2022 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, प्रोजेक्ट के 10 कि०मी० अंतर्गत कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी तथा कोर जोन नहीं आता है।
- प्रस्तावित खदान में बेस लाइन डाटा का कार्य अक्टूबर 2022 से दिसम्बर 2022 में मानसून पूर्व काल में किया गया है।

**1.3 खदान में खनन करने की विधि:-** मार्ईन में कार्य करने के लिए दो पिट डिजाइन की गई है, मार्ईन में कार्य सेमी मेकेनाईज्ड पद्धति से किया जायेगा, 3 मी0 ऊंची व 3मी0 चौड़ी बेन्च का निर्माण किया जायेगा ऊपरी सतह में निकाली गई मिट्टी को डंप यार्ड में रखा जायेंगा खदान में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, वृक्षारोपण का कार्य जिला प्रशासन तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जायेगा।

➤ उपरोक्त प्रस्तावित खदान में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम पाँच वर्ष तक कुल **82,9,88** टन अनुमानित मात्रा (प्रस्तावित किया गया है) में उत्पादन किया जाना है, अधिकतम **23,250** टन, उत्पादन का लक्ष्य है। प्रथम पाँच वर्ष का उत्पादन विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।



वर्ष	पिट-I	पिट-II	कुल उत्पादन सोपस्टोन (टन)
प्रथम वर्ष	2015	9061	11076
द्वितीय वर्ष	2834	10217	13051
तृतीय वर्ष	3302	12391	15693
चतुर्थ वर्ष	5860	14058	199918
पंचम वर्ष	9372	13878	23250
कुल	<b>23,383</b>	<b>59,605</b>	<b>82,988</b>

अगले पाँच वर्षों के दौरान गड्ढे से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी, अपशिष्ट चट्टान की मात्रा नीचे तालिक में दि गई है।


वर्ष	प्रथम पिट		द्वितीय पिट	
	शीर्ष मिट्टी	इंटरबर्डन	शीर्ष मिट्टी	इंटरबर्डन
प्रथम वर्ष	680	1186	1754	5335
द्वितीय वर्ष	1648	1668	1872	6015
तृतीय वर्ष	1584	1944	2900	7295
चतुर्थ वर्ष	1920	3450	3045	8276
पंचम वर्ष	2227	5517	2774	8170
कुल	<b>8059</b>	<b>13765</b>	<b>12345</b>	<b>35091</b>

## प्रोजेक्ट संबंधी सुचनाएँ

१	प्रोजेक्ट का नाम	भैरुचौबट्टा, सोपस्टोन माईग प्रोजेक्ट
अ	ग्राम	भैरुचौबट्टा,
आ	तहसील	बागेश्वर
इ	जनपद	बागेश्वर
ई	लीज एरिया कोर्डिनेट	Latitude: 29°51'4.92"N to 29°51'4.45"N Longitude: 79°51'11.80"E to 79°51'11.00"E
उ	लीज अवधि	50 वर्ष
ऊ	प्रस्तावित मूल्य	35 लाख मात्र
ए	मानव श्रम	47
ऐ	पानी की मांग एवं स्रोत	4.0 के0एल0डी0 पीने तथा धूल हटाने तथा वृक्षारोपण हेतु, पानी के स्रोत प्राकृतिक
2 पर्यावरणीय		
अ	आकार	जँचाई अधिकतम 1338.31 मी० तथा न्यूनमत जँचाई 1191.23 मी०
आ	नजदीकी राज्य राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग	बागेश्वर दफोड धमघर रोड लगभग 2.23 कि०मी० हवाई दूरी उत्तर पश्चिम में
इ	नजदीकी रेलवे स्टेशन	काठगोदाम 70.94 कि०मी० हवाई दूरी दक्षिण पश्चिम में
ई	नजदीकी हवाई अड्डा	पिथौरागढ़ 47.11कि०मी० हवाई दूरी दक्षिण पूर्व में
उ	वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी	10 कि०मी० के दायरे में नहीं है।
ऊ	नजदीकी शहर	बागेश्वर 8-10 कि०मी०
ए	नजदीकी नदी	पुंगर नदी लगभग 2.08 कि०मी० हवाई दूरी उत्तर पश्चिम में
ऐ	भूकम्पीय जोन	जोन 5



परियोजना स्थल



#### **1.4 भूमि उपयोग पर प्रभाव, खनन किए गए क्षेत्रों का सुधार और वनरोपण कार्यक्रम:-**

खनन किए गए क्षेत्रों के भूमि उपयोग और सुधार पर प्रभाव

ओपनकास्ट खनन गतिविधियां पटटा क्षेत्र के परिदेश को बदल सकती हैं, और आसपास के क्षेत्रों की सतह की विशेषताओं में कुछ गड़बड़ी भी पैदा कर सकती है, 7.5 मीटर सेफटी बैरियर छोड़कर खनन किया जाएगा जहाँ भी सम्भव होगा, जिला प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से वृक्षारोपण का विकास किया जाएगा।

मौजूदा भूमि उपयोग पैटर्न कृषि भूमि के स्वरूप या भू-आकृति पर प्रभाव पहाड़ी भू-भाग पर भूमि के उपयोग से खुले खनन के कारण आमूल-चल परिवर्तन से गुजरेगा। अगले पांच वर्षों के दौरान खनन और सम्बद्ध गतिविधियों के कारण 2.02 भूमि का क्षरण होगा।

#### **1.5 भूमि सुधार का प्रस्ताव खनन गतिविधियों से प्रभवित:-**

खनन उच्च स्तरों से शुरू होगा और निचले स्तरों की और बढ़ेगा। रुक-रुक कर बैकफिलिंग उच्च स्तरों से शुरू होगी और बाद में निचली उँचाई की और बढ़ेगी ताकि सीढ़ीदार कृषि क्षेत्र इस तरह से शुरू हो सके कि मूल भूमि उपयोग बहाल हो जाए यानी मानसून की शुरुआत से पहले खेती के लिए काश्तकारों को सौप दिया जाएगा। अंतिम बैच बनने के बाद अंतिम बैकफिलिंग शुरू कर दी जाएगी और गड़ढा इष्टम आर्थिक गहराई तक पहुँच जाएगा। खनिज की समस्त वसूली बिकी योग्य श्रेणी की होगी।

स्थानीय डीएफओ, कृषि के परामर्श से खनन पटटा क्षेत्र की सीमाओं के साथ 7.5 मीटर बैरियर क्षेत्र में एमएल क्षेत्र, बैकफिल्ड और पुनः प्राप्त क्षेत्र, जल निकाय, सड़को, वैन पंचायत भूमि आदि के आसपास देशी प्रजातियों को लगाकर वृक्षारोपण किया जाएगा, विभाग वर्षावार वृक्षारोपण का विवरण तालिका में दिखाया गया है।

वर्ष	पौधों की संख्या
प्रथम वर्ष	1000
द्वितीय वर्ष	1000
तृतीय वर्ष	1000
कुल	<b>3000</b>

### 1.6 भूमि उपयोग पैटर्न:-

वर्तमान में पूर्व-खनन खदान पटटा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि गैर वन कृषि भूमि है।

**1.7 भूमि उपयोग पैटर्न पर प्रभाव :-** प्रस्तावित ओपनकास्ट खदान के परिणामस्वरूप एमएल क्षेत्र के भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन होगा। खनन गतिविधियों जैसे उत्खनन, ओवरबर्डन डंपिंग, मिटटी की निकासी अदि के दौरान भूमि क्षरण की आशकां हैं, परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता का आकलन कार्यात्मक जरूरतों को देखते हुए किया गया है।

**1.8 सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रभाव:-** खदान क्षेत्र में कोई बस्ती शामिल नहीं है, इसलिए खनन गतिविधि में मानव बदोबस्त का कोई विस्थापन शामिल नहीं है, पटटा क्षेत्र के भीतर या आसपास कोई सार्वजनिक भवन, स्थान, स्मारक आदि मौजूद नहीं हैं, खनन कार्य किसी भी गांव को परेशान-स्थानांतरित नहीं करेगा या पुनर्वास की आवश्यमता नहीं होगी, इस प्रकार कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रत्याशिक नहीं है।

क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है, प्रस्तावित सोपस्टोन खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और जब भी जनशक्ति की आवश्यकता होगी, स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी।

### 1.9 पर्यावरण प्रबंधन योजना:-

प्रस्तावित पर्यावरणीय शमन उपाय

प्रभाव अनुमानित	सुझावात्मक उपाय
-----------------	-----------------

जंगली जीवों के मुक्त आवागमन/जीवनयापन में बाधा	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वन जीवन की संवेदनशीलता महत्व के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आरक्षित वन क्षेत्र में मजदूरों या वहानों की आवाजाही के लिए कोई पथ या नई सड़क नहीं बनाई जानी चाहिए, इससे वन विखंडन, अतिक्रमण और मानव-पशु मुठभेड़ को रोका जा सकेगा।</li> <li>➤ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अयस्क सामग्री ले जाने के लिए वाहनों की आवाजाही के दौरान उत्पन्न शोर अनुमेय शोर स्तर के भीतर हो।</li> <li>➤ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मजदूरों द्वारा पशुओं का शिकार न किया जाए।</li> <li>➤ यदि जंगली जानवर कोर जोन को पार करते हुए देखे जाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा।</li> <li>➤ मजदूरों को भोजन, प्लास्टिक आदि को फेकने की अनुमति नहीं होगी, जो मुख्य स्थल के पास जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं।</li> <li>➤ अयस्क सामग्री ले जाने के लिए केवल कम प्रदूषण वाले वाहन को ही अनुमति दी जाएगी, परियोजना स्थल क्षेत्र में अनुमति सभी वाहनों को तीन माह की समाप्ति पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।</li> <li>➤ वन क्षेत्र में हॉर्न की अनुमति नहीं होगी, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमन 2000, सीपीसीबी मापदण्डों के अनुसार ध्वनि स्तर अनुमेय सीमा (दिन के समय में साइलेंट जोन-50 डीबी) के भीतर होगा।</li> </ul>
वन वनस्पतियों की कटाई	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पेड़ काटने, लकड़ी काटने, झाड़ियों और जड़ी-बूटियों को उखाड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।</li> <li>➤ आरक्षित वन क्षेत्र में अयस्क सामग्री की पिलिंग नहीं होनी चाहिए।</li> <li>➤ आर्थिक रूप से महत्वपूण्ड्र पौधों का संगृह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।</li> </ul>

**1.10 विकल्पो का विश्लेषण:-** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक (जीएसआई) द्वारा किए गए भूवैज्ञानिक जांच और अन्वेषण के परिणाम के आधार पर सोपस्टोन की पहचान की गई है, खनन परियोजनाए स्थल विशिष्ट है। क्योंकि ऐसे वैकल्पिक स्थलो पर विचार नहीं किया गया था।

खदान का संचालन खनन की ओपनकास्ट सह अर्ध-मशीनीकृत पद्धति से किया जाएगा। अयस्क की कठोर प्राकृति के कराण किसी अन्य वैकल्पिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित खदान आसपास के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपयोग कर रही है।

### **1.11 लगत अनुमान:-**

5 वर्षो के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत, कॉपरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व सीईआर और सीएसआर के लिए बजट (प्रति वर्ष) कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियो के लिए निधियो के वर्षवार आवंटन का विवरण तालिका में दिया गया है।

#### **सी0ई0आर कार्यक्रम लागत के लिए बजट**

क्र0स0	गतिविधियां	आवंटित निधि (एलोकेशन फण्ड)
1	हॉल रोड का रखरखाव	<b>0.50</b>
2	मोबाइल शौचालयो और सफाई सुविधाओ का रखरखाव	<b>0.30</b>
3	स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियां करचादान और सफाई सुविधाएं	<b>0.20</b>
कुल		<b>1.0</b>

प्रस्तावित खदान में पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निम्न प्रकार से धनराशि का आवंटन किया गया है

#### **सी0एस0आर कार्यक्रम लागत के लिए बजट**

क्र0स0	गतिविधियां	आवंटित निधि (एलोकेशन फण्ड) (लाख में)
1	स्वास्थ्य शिविर	0.80
2	सरकारी स्कूलों में शौचालयों की मरम्मत कार्यों के लिए	1.0
3	गुणवान लड़कियों में किताब और कॉपी बाँटने के लिए अनुसुचित जाति व जनजाति के बच्चों के लिए।	1.20

4	प्रस्तावित गांव में सरकारी स्कूल की मरम्मत के लिए।	1.0
	कुल	<b>4.0</b>

### पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु बजट

क्र0स0	उपाय	कैपिटल मूल्य (रूपये में) (प्रथम वर्ष)	रिकरिंग मूल्य (रूपये में) (बाद के सालों)
1	प्रदूषण नियंत्रण ➤ धूल निलंबन	1,00,000	1,00,000
2	प्रदूषण की निगरानी i) वायु प्रदूषण ii) जल प्रदूषण iii) मृदा प्रदूषण iv) ध्वनि प्रदूषण	1,00,000 60,000 40,000 20,000	11,00,000 60,000 40,000 20,000
3	पौधारोपण और ग्रीन बेल्ट	2,40,532	4,67,875
4	खनन क्षेत्र का उद्धार	--	8,05,380
5	व्यावसायिक स्वास्थ्य	1,00,000	50,000
कुल		<b>6,60,532</b>	<b>16,43,255</b>

### **1.12 जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना**

खनन प्रबंधन का सक्षमता प्रमाण पत्र रखने वाले एक योग्य खान प्रबंधन के प्रबंधन नियंत्रण और निर्देशन के तहत पुरा खनन कार्य किया जाएगा, इसके अलावा, खनन कर्मचारियों को अदयतन रखने के लिए समय-समय पर पुनर्शर्चर्या पाठ्यक्रमों में भेजा जाएगा।

**1.13 आपदा प्रबंधन योजना:-** आपदा प्रबंधन की योजना बनाने में आपातकालीन तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू है, कर्मियों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और सावधानीपूर्वक नियोजित, नकली प्रक्रियाओं के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया में मानसिक और शरीरिक रूप से तैयार किया जाएगा, इसी तरह, प्रमुख कर्मियों और आवश्यक कर्मियों को संचालन में प्रशिक्षित किया जाएगा।

### **1.14 सार्वजनिक परामर्श:-**

**जन सुनवाई:-** 14 सितम्बर 2006 की ईआईए अधिसूचना के अनुरूप, जन सुनवाई से संबंधित धारा 1 (ए) के तहत, ईआईए ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा जन सुनवाई के लिए उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूईपीसीबी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

**1.15 परियोजना लाभ:-** खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा, खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यह चिकित्सा सुविधाएं आपात स्थिति में आसपास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध होगी।

- रोजगार कर सृजन और जीवन स्तर में सुधार
- रॉयल्टी, करो और शुल्कों के माध्यम से राज्य को राजस्व में वृद्धि होगी।

- सुपीरिसर संचार और परिवहन सुविधाएं आदि

परियोजना के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में स्थानीस लोगों के रोजगार से क्षेत्र की समृद्धि में बढ़ि होगी।

#### **1.16 निष्कर्ष:-**

- खनन कार्य पर्यावरण एंव वन मंत्रालय की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करेगे।
- समुदायिक प्रभाव लाभकारी होगे, क्योंकि परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।
- अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौदयोगिकी और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना।
- खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव कके बिना आगे बढ़ सकती है।

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*